# ग्राम पंचायत हवाण, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अवधि 04/2013 से 03/2016
## भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्याहरवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हवाण, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :–**

**प्रधान**

| क्र• | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री दीना नाथ | 01.04.2013 से 22.01.2016 |
| 2 | श्रीमति सुनीता देवी | 23.01.2016 से 31.03.2016 |

**सचिव**

| क्र• | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री संजीव कुमार | 01.04.2013 से 31.03.2016 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–** ग्राम पंचायत हवाण, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

| क्र• | पैरा सं• | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1 | दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्त शेष में अन्तर | 0.41 |
| 2 | 6 | वित्तीय नियमों की अवहेलना | –– |
| 3 | 6.3 | खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना। | 0.88 |
| 4 | 9 | तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना | 0.91 |
| 5 | 10 | अनुदान राशियों का अवरोधन | 12.66 |

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.1 | स्व स्त्रोतों की आय का गवन | 0.42 |
| 7 | 11.2 | पांच रसीद बुकों को गायब करके किया गया गवन | 0.28 |
| 8 | 12 | निर्मल भारत अभियान की राशि का गवन | 0.77 |
| 9 | 13 | मनरेगा के अन्तर्गत भू–सुधार के कार्यों में निर्माण सामग्री (पत्थर) की खरीद में किया गया गवन | 2.09 |
| 10 | 14 | रोकड़ बही में झूठे खर्चे दर्ज करके किया गया गवन | 1.42 |
| 11 | 15 | बिल की छायाप्रति पर संदिग्ध भुगतान | 0.02 |
| 12 | 16 | सामान के मूल्य से अधिक राशि का भुगतान ढुलाई किराए के रूप में करके किया गया गवन | 0.08 |
| 13 | 17 | बिना बिल / वाउचरों के किया गया संदिग्ध व्यय | 1.30 |
| 14 | 18 | निविदाओं के बिना किया गया क्रय | 7.01 |
| 15 | 19 | यात्रा भत्ता दावों का संदिग्ध भुगतान | 0.03 |
| 16 | 20 | मकान नम्बर प्लेटों पर अनुचित व्यय | 0.11 |
| 17 | 25 | महत्वपूर्ण अभिलेख का अपूर्ण पाया जाना | — |
| 18 | 26.2 | मनरेगा कार्डधारकों को कानून के अनुसार मांगा गया रोजगार उपलब्ध न करवाना | — |
| 19 | 27.1 | मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान करके किया गया गवन | 0.27 |
| 20 | 27.2 | विभिन्न कार्यों में खुदाई से प्राप्त पत्थर का लेखांकन न करना | — |
| 21 | 28 | निर्माण कार्यों में स्वीकृत राशि से अधिक का व्यय करना | 3.02 |
| 22 | 29.1 | क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण न करना | — |

## भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण :–** ग्राम पंचायत हवाण, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04 / 2013 से 03 / 2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18 / 08 / 2016 से 24 / 08 / 2016 तक ग्राम पंचायत हवाण के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 02 / 2014, 10 / 2014, 01 / 2016 व 02 / 2014, 10 / 2014, 12 / 2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—** ग्राम पंचायत हवाण, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/—बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015—16/—179 दिनांक 24/08/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति :—** पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

**4.1:— स्व स्त्रोत :—** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013—14 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 |
| 2014—15 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 |
| 2015—16 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 |

**4.2:— अनुदानः—** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1 तथा 2** में भी दिया गया हैः—

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013—14 | 452251 | 4610189 | 5062440 | 4644499 | 417941 |
| 2014—15 | 417941 | 2280675 | 2698616 | 1986135 | 712481 |
| 2015—16 | 712481 | 2772727 | 3485208 | 2219186 | 1266022 |

5 **बैंक खातों के सन्दर्भ में पाई गई त्रुटियांः—**

**5.1:— बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹41,412/— का अन्तर :—** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31—03—2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹41,412/— का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में है।

| क्र• | खाता | | | | | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः– | | | | | |
| 1 | रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1) | | | | | 615 |
| 2 | रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2) | | | | | 1266022 |
| **कुल योग (क):** | | | | | | **1266637** |
| बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः– | | | | | | |
| | विवरण | बैंक | खाता | बैंक शेष | हस्तगत शेष | कुल |
| 1 | सामान्य निधि–खाता 'क' | हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं | 17611 | 693 | 0 | 693 |
| 2 | अनुदान खाता–खाता 'ख' | हि•प्र•रा•स• बैंक घुमारवीं | 03340 | 229624 | 0 | 229624 |
| 3 | अनुदान खाता–खाता 'ख' | हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट | 03411 | 353214 | 0 | 353214 |
| 4 | अनुदान खाता–खाता 'ख' | हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट | 02274 | 566861 | 0 | 566861 |
| 5 | मनरेगा | हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट | 01841 | 1086 | 0 | 1086 |
| 6 | आई डबल्यू एम पी | हि•प्र•रा•स• बैंक त्रिफालघाट | 04844 | 73747 | 0 | 73747 |
| कुल योग (ख): | | | | 1225225 | 0 | 1225225 |
| रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख): | | | | | | 41412 |

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 **पंचायत निधि के खाता 'क' का संचालन न करनाः–** ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में हि• प्र• रा• स• बैं• की घुमारवीं शाखा में खाता संख्या 11010117611 पंचायत निधि के लिए खाता 'क' खोल तो लिया गया है परन्तु इसमें किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है। यह स्थिति **परिशिष्ट '1'** में दी गई पंचायत के स्वयं संसाधनों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर स्वयं स्पष्ट हो जाती है। पंचायत द्वारा इस खाते

का संचालन करने के स्थान पर स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय को हि• प्र• रा• स• बैं• की घुमारवीं तथा त्रिफालघाट शाखाओं में चल रहे तीन खातों क्रमशः 11010103340, 12410103411 तथा 12410102274 जो कि पंचायत निधि के लिए खाता 'ख' के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं में जमा करवाया जाता है। यह नियम विरूद्ध कार्यविधि क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.3 **पंचायत निधि के खाता 'ख' के लिए तीन बैंक खातों का प्रयोग करनाः–** पंचायत द्वारा वर्तमान में पंचायत निधि के खाता 'ख' के संचालन हेतु तीन बैंक खातों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधानों के विरूद्ध है जिसके लिए अब नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–**

6.1(क) **नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–** हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत हवाण द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मनरेगा तथा आई डबल्यू एम पी के लिए तीन अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1(ख) **रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारेः–** लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न

निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ग) **लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत हवाण में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग तीन रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 **नियमों के विरूद्ध छः बैंक बचत खातों का खोला जानाः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत हवाण में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित छः बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन चार अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 **खाता 'ख' के ₹0.88 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–** हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत हवाण के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹88,197/– खाता 'ख' से

सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

| खाता संख्या | माह / वर्ष | | | | | | कुल ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 / 2013 | 3 / 2014 | 9 / 2014 | 3 / 2015 | 9 / 2015 | 3 / 2016 | |
| 3340 | 5873 | 4222 | 3541 | 2305 | 4323 | 4543 | 24807 |
| 3411 | 2551 | 5185 | 4968 | 6175 | 7270 | 7112 | 33261 |
| 2274 | 217 | 524 | 964 | 951 | 1436 | 6157 | 10249 |
| 1841 | 3676 | 3971 | 692 | 743 | 21 | 21 | 9124 |
| 4844 | 0 | 921 | 2382 | 3016 | 2987 | 1450 | 10756 |
| कुल योग | 12317 | 14823 | 12547 | 13190 | 16037 | 19283 | 88197 |

6.4 **वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत हवाण द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

## 7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

7.1 **नियमानुसार निवेश न करनाः–**हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत हवाण द्वारा इस नियम की अनुपालना

नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को ब्याज के रूप में होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 **निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 **बजट प्राक्कलन तैयार न करने के कारण तीन वर्षों के दौरान किया गया समस्त ₹88.50 लाख का अनियमित व्यय :–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करके अंकेक्षणावधि के दौरान कभी भी ग्राम सभा से पारित ही नहीं करवाया गया है। अतः नियमानुसार बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण अंकेक्षणावधि के दौरान किया गया समस्त ₹88,49,820/– का व्यय अनियमित है। अतः अब इस व्यय को नियमित करवाने के लिए सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 **पंचायत राजस्व ₹0.91 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–** सचिव ग्राम पंचायत हवाण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹91,275/– की वसूली शेष थी।

**गृहकर** :– पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2013–14 में 710, 2014–15 में 735 तथा 2015–16 में 756 परिवारों के लिए ₹25/– प्रति परिवार की दर से माँग निम्न प्रकार से हैः–

| वर्ष | अथशेष | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु |
|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  | **शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 17250.00 | 17750.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 2014–15 | 35000.00 | 18735.00 | 53375.00 | 0.00 | 53375.00 |
| 2015–16 | 53375.00 | 18900.00 | 72275.00 | 0.00 | 72275.00 |

**मोबाईल टावर :–** पंचायत क्षेत्र में स्थापित टावरों की संख्याः 2

| **वर्ष** | **अथशेष** | **मांग** | **योग** | **प्राप्ति** | **वसूली हेतु शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.14 | 4000.00 | 5000.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 2014.15 | 9000.00 | 5000.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 2015.16 | 14000.00 | 5000.00 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 |

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

### 10 अनुदान की ₹12.66/– लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹12,66,022/– उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

### 11 पंचायत की स्व स्त्रोतों की आय का गवनः–

11.1 **पंचायत की स्व स्त्रोतों की आय को निधि में जमा न करवा कर किया गया ₹0.42/– लाख का गवनः–** अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त स्व–स्त्रोतों की आय हेतु जारी रसीदों तथा सम्बन्धित अन्य अभिलेख की जांच में पाया गया कि इस अवधि के दौरान पंचायत को स्व–स्त्रोतों से प्राप्त आय को कभी भी निधि में जमा नहीं करवाया गया है। इस प्रकार इस अवधि में प्राप्त कुल आय ₹41989/– का संदिग्ध गवन किया गया प्रतीत होता है जिसका संक्षिप्त विवरण

निम्न तालिका में तथा विस्तृत विवरण पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित विवरण तालिका में (**परिशिष्ट '2'**) दिया गया हैः–

| **क्र** | **रसीद बुक** | **कुल राशि (₹)** |
|---|---|---|
| 1 | 5944 से 6000 | 3953.00 |
| 2 | 5601 से 5700 | 5425.00 |
| 3 | 1401 से 1500 | 5380.00 |
| 4 | 2101 से 2200 | 5450.00 |
| 5 | 1101 से 1200 | 5405.00 |
| 6 | 1001 से 1100 | 5391.00 |
| 7 | 1301 से 1400 | 5485.00 |
| 8 | 1201 से 1300 | 5500.00 |
|  | **कुल योगः–** | **₹41989.00** |

उपरोक्त आंकड़े मात्र अंकेक्षणावधि की जांच से सम्बन्धित हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आय का गवन करने के लिए यह कार्य पद्धत्ति इससे पहले भी काफी समय से अपनाई जा रही है। अतः इस प्रकरण की गहन विभागीय जांच करके गवन की गई सम्पूर्ण राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

**11.2 पांच रसीद बुकों को गायब करके लगभग ₹0.28 लाख का संभावित गवनः–** अभिलेख की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्रयोग की गई कुल रसीद बुकों में से पांच रसीद बुकें गुम पाई गई हैं अथवा अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैः–

| **क्र** | **रसीद बुक** |
|---|---|
| 1 | 19701 से 19800 |
| 2 | 19801 से 20000 |
| 3 | 20001 से 20100 |
| 4 | 20301 से 20400 |
| 5 | 20501 से 20600 |

गत उप पैरा 11.1 में वर्णित तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक रसीद बुक में औसतन लगभग ₹5500/– की वसूली की गई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इन पांच रसीद बुकों में भी लगभग ₹27500/– की वसूली की गई थी जिसे निधि में जमा न करवा कर गवन किया गया है। अतः इस प्रकरण की विभागीय जांच करके इन रसीद बुकों को तलाश करने का प्रयत्न किया जाए तथा इनमें गवन की गई सम्पूर्ण राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित से की जाए।

गवन की गई राशि की वसूली के अतिरिक्त गत दोनों उप पैरा में वर्णित प्रकरणों की गहन विभागीय जांच उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर नियमानुसार की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **निर्मल भारत अभियान की राशि के आबंटन में किया गया ₹0.77 लाख का सम्भावित गवनः–**

रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि माह 06/2015 में पृष्ठ 23 पर 'निर्मल भारत अभियान' के अन्तर्गत पंचायत निवासियों में से **परिशिष्ट 3 (क)** पर दिए गए 17 गृह–स्वामियों में ₹86700/– का वितरण घरों में शौचालय निर्माण हेतु ₹5100/– प्रति गृहस्वामी की दर से किए जाने की प्रविष्टी की गई है। इस भुगतान के वाउचर तथा अन्य अभिलेख की जांच में पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा परिशिष्ट 3 (ख) पर दिए गए 20 लाभार्थियों का चयन किया गया था। परन्तु **परिशिष्ट 3 (क)** पर जिन लाभार्थियों को वास्तविक आबन्टन किया गया है उनमें से मात्र दो ही लाभार्थी परिशिष्ट 3 (ख) की चयन तालिका में क्रमांक 11 तथा 29 पर विभाग द्वारा चयनित हैं। चयन सूची के क्रमांक 22 पर दर्शाए गए लाभार्थी शिब्बू राम पुत्र जल्हा राम को विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया/सर्वे में बाहर कर दिया गया था परन्तु फिर भी उसे **परिशिष्ट 3 (क)** के क्रमांक 15 पर लाभ आबन्टित किया गया है। इन तीन के अतिरिक्त अन्य चौदह लाभार्थी जिनके खातों में लाभ राशि जमा दर्शाई गई है के नाम तक भी चयन सूची में कहीं नहीं दर्ज हैं। इस प्रकार जिन 17 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है उनमें से मात्र दो ही लाभार्थी विभाग द्वारा चयनित थे जो यह स्पष्ट करता है कि शेष 15 लाभार्थियों को किया गया ₹76500/– का आबन्टन एक सम्भावित गवन है। अतः इस प्रकरण की गहन विभागीय जांच करके गवन की गई सम्पूर्ण राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

इसके अतिरिक्त विभागीय जांच उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर नियमानुसार की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **मनरेगा के अन्तर्गत भू–सुधार के कार्यों में निर्माण सामग्री (पत्थर) की खरीद पर अनुचित व्यय करके किया गया ₹2.09 लाख का गवनः–** मनरेगा के अन्तर्गत निजि भूमि पर किए जाने वाले भू–सुधार कार्यों के क्रियान्वन से सम्बन्धित सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन कार्यों हेतु किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री पर मनरेगा योजना निधि से कोई व्यय किया जाना प्रतिबन्धित है। इस बारे में पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों तथा मनरेगा सहायकों को विभाग द्वारा समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों/सेमीनार/मीटिंगों में इस बारे में जानकारी दी जाती है तथा इस प्रतिबन्ध के बारे में अन्य पंचायतों के कर्मचारी जागरूक पाए

गए हैं। इसके अतिरिक्त हवाण पंचायत की भैगोलिकी पत्थरीली है तथा यहां से मकान निर्माण हेतु अन्य स्थानों को पत्थरों (Sand Stone) की आपूर्ती की जाती है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि यदि इस पंचायत के अन्तर्गत भू–सुधार कार्य किया जाता है तो खेतों में मेंढ़ इत्यादी लगाने के लिए आवश्यक पत्थर उसी भूमि में से मिल जाएगा। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से अंकेक्षणावधि के दौरान चयनित मासों के व्यय की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा करवाए गए लगभग ऐसे प्रत्येक कार्य में पत्थर खरीद हेतु मनरेगा निधि से भुगतान किया गया है। जांच में पाए गए ऐसे 24 कार्यों तथा उनमें पत्थर खरीद हेतु किए गए ₹2,09,212/– के व्यय का विवरण **परिशिष्ट '4'** पर दिया गया है। मनरेगा नियमों के अन्तर्गत यह व्यय अनियमित होने तथा पंचायत की भैगोलिक स्थिति के दृष्टिगत यह प्रकरण एक सम्भावित गवन प्रतीत होता है। **परिशिष्ट '4'** में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि की जांच से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे ही कई प्रकरण पंचायत अभिलेख में होंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इसकी गहन विभागीय जांच करवाई जाए तथा इस अनुचित व्यय की ₹2,09,212/– तथा इस परिशिष्ट के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में विभागीय जांच उपरान्त पाई जाने वाली राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करना सुनिश्चित किया जाए। राशि की वसूली तथा विभागीय जांच के परिणामों से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

### 14 रोकड़ बही में अनियमित रूप से व्यय दर्ज करके किया गया ₹1.42 लाख का सम्भावित गवनः–

पंचायत की अंकेक्षणावधि 04/2013 से 03/2016 तक रोकड़ बहियों व सम्बन्धित वाउचर नस्तियों की जांच में सामने आया रोकड़ बहियों में बहुत सारे ऐसे अनियमित खर्चे दर्ज किए गए हैं जिनके सन्दर्भ में न तो आपूर्तीकर्ता/सेवा प्रदाता का कोई बिल अथवा रसीद संलग्न है और न ही अन्य ही कोई वाउचर नस्तियों में लगाया गया है। इस व्यय के लिए मात्र रोकड़ बही में प्रविष्टि करके राशि बैंक से आहरित कर ली गई है। अंकेक्षण की जांच में ₹1,41,614/– की जो व्यय प्रविष्टियाँ सामने आई हैं उनका विवरण **परिशिष्ट '5'** पर दिया गया है। इस परिशिष्ट में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि की जांच से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे ही कई प्रकरण पंचायत अभिलेख में होंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इसकी गहन विभागीय जांच करवाई जाए तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त इस सम्भावित गवन की ₹1,41,614/– तथा इस परिशिष्ट के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में विभागीय जांच उपरान्त पाई जाने वाली राशि की

वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करना सुनिश्चित किया जाए। राशि की वसूली तथा विभागीय जांच के परिणामों से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15 **बिल की छायाप्रति पर ₹2,490/— का संदिग्ध एवं अनुचित भुगतानः—**

रोकड़ बही के पृष्ठ 38 पर दिनांक 13.4.2013 को ₹2,490/— का भुगतान हिन्द समाचार पत्र, जालन्धर के पक्ष में दर्ज किया गया है। इस भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की जांच में पाया गया इसमें सेवा प्रदाता के मूल बिल संख्या 1002017263 दिनांक 14.8.2012 के स्थान पर यह भुगतान बिल की छायाप्रति पर किया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छायाप्रति पर किया गया भुगतान मान्य नहीं है तथा मूल बिल के अभाव में संदिग्ध प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (आई) के अनुसार पंचायत निधि के खाता 'क' में से पंचायत की गतिविधियों के प्रचार/विज्ञापन पर प्रतिवर्ष ₹2000/— तक का व्यय किया जा सकता है। इस कारण से भी सीमा से अधिक किया गया ₹2490/— का व्यय अनियमित है। अतः इस प्रकरण की उच्च स्तरीय विभागीय जांच करवाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 **सामान के मूल्य से अधिक राशि का भुगतान ढुलाई किराए के रूप में करके किया गया ₹0.08 लाख का संभावित गवनः—** रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि पृष्ठ 14 पर दिनांक 29.12. 2014 को हि प्र राज्य नागरिक आपूर्ती निगम, घुमारवीं से 20 बोरी सीमेन्ट ₹4105/— की लागत पर खरीदा गया था। परन्तु आश्चर्यजनक तरीके से इस ₹4105/— मूल्य के सीमेन्ट का घुमारवीं से हवाण के लिए ढुलाई भाड़े का भुगतान ₹8400/— किया गया है जो कि मूल्य के दुगने से भी अधिक है। यह भुगतान चैक संख्या 331374 दिनांक 29.12.14 द्वारा मदन लाल गांव चलैहली के पक्ष में दर्शाया गया है परन्तु बैंक पास बुक में उसी दिन दर्ज प्रविष्टि के अनुसार इस चैक का भुगतान बैंक द्वारा किसी ओंकार सिंह को किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह संदिग्ध भुगतान एक संभावित गवन है। अतः इस प्रकरण की विभागीय जांच करवाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 **बिना बिल/वाउचरों के किया गया ₹1.30 लाख का संदिग्ध व्ययः—**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया

जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹1,30,320/– के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के मूल आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '6'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए हुए/हस्तलिखित प्रार्थना पत्रों पर ही भुगतान करते हुए आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

### 18 निविदा/टैंडर सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.01 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट '7'** मे दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹7,01,160/– के स्टॉक स्टोर का क्रय अथवा निर्माण कार्य आबन्टन टैंडर/निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस नियम विरूद्ध कार्य पद्धति को अपनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

### 19 यात्रा भत्ता दावों पर ₹0.03 लाख का संदिग्ध व अनुचित भुगतानः–

पंचायत लेखाओं की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 56 पर दिनांक 31.3.2014 को तीन यात्रा भत्ता दावा प्रपत्रों में हवाण से घुमारवीं की यात्राओं का विवरण भर कर तथा ₹100/– प्रति यात्रा की दर से दैनिक भत्ते की राशि लिख कर क्रमशः ₹1440/–

₹1280/– तथा ₹800/– कुल ₹3520/– के दावों के विरूद्ध ₹3400/– का भुगतान किया गया है। परन्तु यह यात्रा भत्ता दावे किसके द्वारा किए गए थे अथवा इनका भुगतान किसको किया गया है का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। इन दावों में दावेदार द्वारा न तो निर्धारित स्थान पर अपना नाम व पद लिखा गया है और न ही हस्ताक्षरित किया गया है। इन दावों को मात्र तत्कालीन पंचायत प्रधान तथा निशा देवी पंचायत सदस्या द्वारा ही सत्यापित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि यह संदिग्ध भुगतान भी एक संभावित गवन ही है। अतः इस प्रकरण की विभागीय जांच करवाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 20 मकान नम्बर पटिकाओं पर ₹0.11 लाख का अनुचित व्ययः–

पंचायत लेखाओं की जांच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ 5 पर दिनांक 23.4.2014 को मै• वर्मा नम्बर प्लेट मेकर्ज़, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को 750 मकान नम्बर प्लेटों की आपूर्ति के लिए ₹10850/– का भुगतान किया गया है। पड़ताल पर सचिव द्वारा बताया गया कि यह नम्बर प्लेटें पंचायत के प्रत्येक घर में मकान विशेष की पहचान हेतु बांटी जानी हैं। इस भुगतान के सन्दर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. इस व्यय को करने से पूर्व नियमानुसार पंचायत द्वारा इसके सन्दर्भ में कोई भी औचित्य स्पष्ट करते हुए ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव परित नहीं किया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
2. व्यय से पूर्व अपनाई जाने वाली किसी भी मानक प्रक्रिया जैसे निविदाएं आमन्त्रित करना इत्यादि का पालन नहीं किया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
3. इस व्यय हेतु न तो सरकार से किसी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त हुआ है और न ही नियमों में इस प्रकार के व्यय का कोई प्रावधान पाया गया है। अतः यह व्यय पंचायत निधि पर अनुचित प्रभार है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से शीघ्रातिशीघ्र करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
4. अंकेक्षण के समय तक इन नम्बर पटिकाओं को खरीदे हुए लगभग 28 मास बीत चुके हैं। पूछने पर बताया गया था कि इन्हें पंचायत के प्रत्येक घर में लगाए जाने हेतु कीमत के भुगतान पर बांटा जाना है। अतः 28 मास तक इन्हें न बांटे जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 **बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः–** हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 **पंचायत सदस्य द्वारा व्यय बिलों का सत्यापन करनाः–** हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 6 में प्रावधित नियमों के अनुसार पंचायत द्वारा किए जाने वाले समस्त व्यय एवं भुगतानों को नियमानुसार करने की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से पंचायत प्रधान एवं सचिव के ऊपर है। परन्तु ग्राम पंचायत हवाण के व्यय वाउचरों की जांच में सामने आया है कि यहां किया गया लगभग समस्त व्यय तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री दीना नाथ तथा एक पंचायत सदस्या श्रीमति निशा देवी द्वारा सत्यापित किया गया है। इस व्यय के सत्यापन की जिम्मेवारी उपरोक्त नियमों के विरूद्ध किसके आदेशों से तथा किन नियमों के अन्तर्गत पंचायत सचिव के स्थान पर एक पंचायत सदस्या को सौंपी गई है के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

23 **प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–** हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त लगभग ₹1 करोड़ की अनुदान राशियों विशेषतः आर॰ टी॰ जी॰ एस॰ बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 **दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियम के विरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति

स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 **महत्वपूर्ण अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–** पंचायत अभिलेख की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही, पंचायत कार्यवाही रजिस्टर, पंचायत पदाधिकारी मानदेय रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख को या तो पूर्ण ही नहीं किया गया है अथवा जानबूझ कर इनमें बीच बीच में कोरे पन्ने रखे गए हैं ताकि संभवतयः भविष्य में की जाने वाली गड़बड़ियों को यहां लेखांकित करके छुपाया जा सके। अंकेक्षण के दौरान ऐसे कुछ प्रकरण जो जांच के दौरान सामने आए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

25.1 **रोकड़ बही के पन्नों को स्टैपल करनाः–** खाता 'ख' की रोकड़ बही के पृष्ठ 1 से 3 खाली रखे जाने के बाद स्टैपल किए गए हैं जिनके बारे में न तो कारण स्पष्ट करते हुए कोई टिप्पणी लिखी गई है और न ही इन पृष्ठों को आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा खारिज किया गया है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो कि अभिलेख की सत्यता को संदिग्ध बनाती है अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

25.2 **पंचायत कार्यवाही रजिस्टर के आधे से अधिक पन्नों को खाली छोड़नाः–** जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्रयोग किए गए कार्यवाही रजिस्टरों के आधे से अधिक पृष्ठ खाली रखे गए हैं तथा उनमें पारित अधिकतर प्रस्ताव अधूरे ही छोड़ किए गए हैं। यह कार्यपद्धति स्पष्टतयः इंगित करती है कि पंचायत द्वारा पहले कार्य/व्यय कर लिया जाता है तदोपरान्त मात्र औपचारिकतापूर्ण करने के लिए आधे–अधूरे प्रस्ताव लिख दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि वास्तव में प्रस्तावित व्यय से सम्बन्धित विकास कार्य को धरातल पर करवाया ही न गया हो। चूंकि पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकास कार्यों की राशि पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति तथा प्रस्ताव संख्या इत्यादि प्राप्त होने पर ही जारी की जाती है। अतः कार्यवाही रजिस्टर की उपरोक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि इन विभागों को प्रेषित प्रस्ताव तथा प्रस्ताव संख्या फर्जी हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण की जांच में पाई गई विसंगतियों के दृष्टिगत उक्त दोनों विभाग अपने अपने स्तर पर उनको भेजे अभिलेख के साथ मिलान करते हुए ग्राम पंचायत हवाण को विकास कार्यों हेतु भेजी गई समस्त राशियों की गहन जांच करवाएं तथा अनियमितता पाए जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध अपेक्षित विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त ऐसी राशियों की वसूली भी सुनिश्चित करें।

25.3 **अधूरा मानदेय रजिस्टरः–** पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय रजिस्टर भी अपूर्ण पाया गया है। उदाहरण के लिए रोकड़बही के पृष्ठ 20 पर दिनांक 15.4.2015 को अवधि 10/2014 से

03/2015 तक के ₹39,800/– के मानदेय का भुगतान दर्ज है। परन्तु मानदेय रजिस्टर में इससे सम्बन्धित कोई विवरण दर्ज नहीं है मात्र पंचायत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर खाली पन्ने पर लिए गए हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो कि अभिलेख की सत्यता को संदिग्ध बनाती है अतः इस बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

**25.4** **वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–** वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

**26** **मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियांः–**

**26.1** **मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–** ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मस्ट्रौल रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान व सचिव से करवाया गया है। इसी प्रकार रोजगार कार्ड भी अधूरे पड़े हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**26.2** **मनरेगा कार्डधारकों को कानून के अनुसार मांगा गया रोजगार उपलब्ध न करवाने बारेः–**

पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा **परिशिष्ट '8'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों में मनरेगा कार्डधारकों से रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कुल 1220 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों के विरूद्ध कुल 50933 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है जो कि (उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार) मनरेगा अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों/गारंटी से 20784 दिन कम है। इस सन्दर्भ में पंचायत द्वारा परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम में दिया गया स्पष्टीकरण 'मजदूरों की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता' उपरोक्त वर्णित 1220 आवेदनों की सूचना के साथ मेल नहीं खाता है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता तथा मनरेगा अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं गहन जांच हेतु लाया जाता है। इस सन्दर्भ में कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26.3 **वाउचर नस्तियों का अनुचित तरीके से रखरखावः–** मनरेगा अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर नस्तियों सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्य विशेष के लिए अलग–अलग लगाई गई हैं। वाउचर नस्तियों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध है जिसके कारण अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर नस्तियों रखी गई हैं वही प्रक्रिया मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26.4 **सहभागी समिति द्वारा निर्माण कार्यों का मूल्यांकन न करनाः–** भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय के पत्र संख्याः 11060/3/2009–नरेगा, दिनांक 01–09–2009 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पंचायत द्वारा मनरेगा निधि से निजी भूमि पर करवाए गए निर्माण/विकास कार्यों का पर्यवेक्षण ग्राम सभा द्वारा बनाई गई सहभागी समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत हवाण में सहभागी समिति के गठन से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा सम्बन्धी उपरोक्त दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई है। पंचायत द्वारा करोड़ों रुपये के विकास कार्य मनरेगा के अन्तर्गत निजि भूमि पर करवाए गए हैं परन्तु सहभागी समिति के अभाव में इन कार्यों तथा उन पर किया गया व्यय संदेह के दायरे में आ जाते हैं। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न विसंगतियांः–** ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के निर्माण कार्यों से अंकेक्षण जांच हेतु निम्नलिखित कार्य चयनित किए गए थेः–

| **क्र** | **कार्य का नाम** | **एम॰ बी॰ तथा पृष्ठ संख्या दिनांक** | **भुगतान राशि (₹)** |
|---|---|---|---|
| 1 | कौशल्या देवी गांव चुराड़ी के लिए भू–सुधार | 5764 पृ 38–39 | 54364 |
| 2 | भूरी सिंह गांव हवाण के लिए वर्षा जल संग्रहण टैंक का निर्माण | 5764 पृ 66 | 19980<br>(सामग्री हेतु भुगतान) |
| 3 | पीर भियाणू से हरिजन बस्ती गुधू तक लिंक सड़क का निर्माण | 6869 पृ 21 | 200000 (स्वीकृत राशि) |

उपरोक्त तथा अन्य निर्माण कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

27.1 **मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान करके ₹0.27 लाख का संदिग्ध गवन:—** उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 पर वर्णित कार्य का मूल्यांकन तकनीकी सहायक द्वारा एम• बी• 5764 के पृष्ठ 38—39 पर ₹27430/— के लिए मनरेगा के अन्तर्गत किया गया है। परन्तु इस कार्य से सम्बन्धित मस्ट्रोलों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुल ₹54364/— का भुगतान इस कार्य में किया गया है:—

| क्रम | मस्ट्रोल संख्या | भुगतान राशि |
|---|---|---:|
| 1 | 654 | 4692.00 |
| 2 | 800 | 3036.00 |
| 3 | 128 | 10626.00 |
| 4 | 79333 | 10010.00 |
| 5 | 79355 | 11570.00 |
| 6 | 79401 | 14430.00 |
| | **कुल योग:** | **54364.00** |

इस प्रकार से मूल्यांकन से ₹26934/— (54364—27430) का अधिक भुगतान करके इस राशि का गवन किया गया प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की गहन विभागीय जांच करवाकर अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त इस राशि की सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27.2 **विभिन्न कार्यों में खुदाई से प्राप्त पत्थर का लेखांकन न करना:—** ग्राम पंचायत हवाण की पत्थरीली भौगोलिकी होने के बावजूद भी उपरोक्त वर्णित कार्यों तथा पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान करवाए गए किसी भी अन्य कार्य में खुदाई से प्राप्त होने वाले पत्थर का एम• ए• एस• या अन्य किसी स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है। अभिलेख की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार से प्राप्त पत्थर का उपयोग अन्य कार्यों में करके वहां से इस मुफ्त के पत्थर का भुगतान दर्शा कर बड़ी राशियों का गवन किया गया है। अतः यह गम्भीर प्रकरण गहन विभागीय जांच हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान करवाए गए इस प्रकार के समस्त विकास कार्यों की गहन जांच करवाकर यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27.3 आपूर्तीकर्ता/सेवा प्रदाता के बिलों पर किए गए कार्य के सन्दर्भ में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इस विवरण का अभाव इन बिलों को संदिग्ध बनाता है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**27.4** इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**27.5** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**27.6** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया है। अतः इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**27.7** मापन पुस्तिकाओं में कार्य समापन दिनांक तथा कार्य पूर्ण होने के सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक अन्य प्रमाणपत्र दर्ज नहीं किए गए हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

**27.8** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख तथा मापन पुस्तिकाओं में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यविधि में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियम विरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

28 **निर्माण कार्यों में स्वीकृत राशि से ₹3.02 लाख का अधिक व्यय करनाः—** पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षणावधि 04/2013 से 03/2016 के तीन वर्षों के लिए पंचायत के आय व्यय के बारे **परिशिष्ट '8 क, ख व ग'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इन तीन वर्षों में करवाए गए निर्माण/विकास कार्यों में निम्न विवरणानुसार कुल ₹3,02,412/— का व्यय विभाग द्वारा उन कार्यों के निष्पादन हेतु स्वीकृत अथवा प्राप्त राशियों से अधिक किया गया हैः—

| **क्र•** | **वर्ष** | **परिशिष्ट** | **कार्य का नाम** | **स्वीकृत/ प्राप्त राशि (₹)** | **कुल व्यय (₹)** | **अधिक व्यय (₹)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013—14 | 8—क | भदरौण में वर्षा शालिका का निर्माण | 50000 | 81684 | 31684 |
| 2 | 2013—14 | 8—क | भदरौण में सामुदायिक भवन निर्माण | 50000 | 59730 | 9730 |
| 3 | 2013—14 | 8—क | ग्रामीण स्वच्छता समिति | 0 | 10000 | 10000 |
| 4 | 2013—14 | 8—क | गुदु से पीर भियाणु तक रास्ता निर्माण | 0 | 14920 | 14920 |
| 5 | 2014—15 | 8—ख | गुदु से पीर भियाणु तक रास्ता निर्माण | 47000 | 48872 | 1872 |
| 6 | 2014—15 | 8—ख | पंचायत कार्यालय मुरम्मत | 0 | 95728 | 95728 |
| 7 | 2014—15 | 8—ख | भदरौण में सामुदायिक भवन निर्माण | 0 | 60364 | 60364 |
| 8 | 2014—15 | 8—ख | स्ट्रीट लाइट | 0 | 43114 | 43114 |
| 9 | 2015—16 | 8—ग | रा व मा पा हवाण में बास्केटबाल प्रांगण का निर्माण | 230000 | 265000 | 35000 |
|  |  |  | **कुल योगः—** |  |  | **302412** |

निर्माण कार्यों में स्वीकृत/प्राप्त राशि से अधिक का व्यय किया जाना अनियमित व अनुचित है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस अनियमित व्यय को सक्षम उच्चाधिकारी की संशोधित स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त व्यय की गई राशि की विभाग अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 29 स्टॉक रजिस्टरों के रख—रखाव में त्रुटियांः—

29.1 **क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण न करनाः—**सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके

जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डार रजिस्टर में लिखा जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत हवाण में खरीदे गए किसी भी सामान का इन्द्राज़ किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों में नहीं किया जाता है। क्रय किए गए सामान का लेखांकन स्टॉक रजिस्टरों में न किए जाने के कारण पंचायत द्वारा किया गया स्मस्त व्यय अनियमित माना जाएगा तथा इस बारे में विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

29.2 **प्रत्यक्ष सत्यापनः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–** हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

| **क्र•** | **रजिस्टर/अभिलेख** | **फॉर्म संख्या** | **सन्दर्भित नियम** |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3 | निर्माण कार्यों का रजिस्टर का अभिलेखन किया तो जा रहा है परन्तु केवल मनरेगा कार्यों के लिए तथा सही तरीके से नही क्योंकि इसमें आवश्यक समस्त जानकारी की प्रविष्टियां नहीं | –– | 103 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | की जा रही हैं। | | |
| 4 | मासिक बैंक समाधान विवरणी | —— | 15(1) |
| 5 | विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते | 7 | 29(1) |
| 6 | वर्गीकृत सार | 8 | 29(4) |
| 7 | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 8 | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 9 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 10 | स्थाई एवं अस्थाई स्टॉक रजिस्टर | 25 व 26 | 72(1) (a & b) |
| 11 | निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर | 31 | 95(1) |

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 **विविध अनियमितताएः—**

31.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

31.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

31.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा उपस्थिति विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

33 **निष्कर्षः—** उपरोक्त अंकेक्षण आपत्तियों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत हवाण की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। अतः विभाग को सुझाव दिया जाता है कि वास्तविकता को सामने लाने हेतु इस पंचायत के लेखाओं तथा कार्यप्रणाली की गहन जांच की जाए। इसके अतिरिक्त

लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(12) 12/2016–खण्ड–1–1000–1003 दिनाँकः14.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृत** 1 सचिव, ग्राम पंचायत हवाण, विकास खण्ड घुमारवी, तहसील घुमारवीं, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.